

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपाल

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 103]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2022—फाल्गुन 13, शक 1943

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2022

एफ-5-58-2021-1-पचपन.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ
को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5-69-2000-पचपन-एमई-1, दिनांक 30 अक्टूबर 2002 में,
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 45 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे प्रविष्टियाँ
जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

“46. बैचलर इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी (बी.एससी.ओटी)।”।

F-5-58-2021-1-LV.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Madhya Pradesh Sah-Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. 5-69-2000-LV-ME-1, dated 30th October, 2002, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule, after serial number 45 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:—

“46. Bachelor in Operation Theater Technology (B.Sc.OT).”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. दुबे, उपसचिव.